

सर्वेन्द्र प्रसाद
 तारादेवी
 दीपक
 शशीधर

विजय सिंह

मान प्रकाश

सुन्दर सिंह

सावर सिंह

रवीन्द्र सिंह

रुमेल सिंह

पवन सिंह

देवेन्द्र सिंह

रविन्द्र सिंह

विप्रेन्द्र सिंह

पुष्पेन्द्र सिंह

दिनेशचन्द्र सिंह — श्री

सुनील विष्ट

अमिल विष्ट

राहुल विष्ट

अमृत विष्ट

प्रमिल विष्ट

सादुल विष्ट

चन्द्रमोहन सिंह विष्ट

सुभाषलाल सिंह - Kherkeher

श्रीवर्तन सिंह - Sureshwar

विजेन्द्र सिंह - Rajender Sarda

रविन्द्र सिंह - Rajender Sarda

सुरजपाल सिंह - ~~Sureshwar~~

सुनील	विष्ट	Sunil Anil
अमिल	विष्ट	Rahul
राहुल	विष्ट	Atul
अमृत	विष्ट	Rumant
प्रमिल	विष्ट	Pradeep
सादुल	विष्ट	Sardul
चन्द्रमोहन सिंह	विष्ट	Chandramohan
सुभाषलाल सिंह		Sureshwar
श्रीवर्तन सिंह		Rajender Sarda
विजेन्द्र सिंह		Rajender Sarda
रविन्द्र सिंह		Rajender Sarda
सुरजपाल सिंह		Sureshwar



(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector -----

No 10-82Ac-2020

Dated 28/1/2020


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.885** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PMGSY, PWD, Satpuli** for construction of **T03 to Badkholu Motor Road** in **Pauri Garhwal** District falls within jurisdiction of Badkholu village in **Pauri Garhwal** Tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.885 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

No 1081AC

Dated 28/11/2020

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.885 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PMGSY, PWD, Satpuli** for construction of **T03 To Badkholu Motor Road** in **Pauri Garhwal** District falls within jurisdiction of Thapla village in **Pauri Garhwal** Tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.885 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Badkholu villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PAURI GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri Garhwāl District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Dhiraj Singh Gabriyal I.A.S Deputy Commissioner, पौड़ी..... on dated 28/11.2012 at time at 3.00 P.M.. in which application claiming rights in 0.885..... area measuring 0.885 hect for the construction of T03 To Badkholu Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of ...पौड़ी..... sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....पौड़ी.....

Dated:..28/11/2012

(Handwritten signature)

**Deputy Commissioner-Chairman
District Level Committee**

It is Further Certified that:- Minutes of Meeting of construction of T03 To Badkholu Motor Road (Length 4.625 Km) regarding FRA is as following:-

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.885 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups pre-agricultural Communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers.

सिद्धार्थ रावत
जिला पंचायत सदस्य
श्रीमती कीना रावत
रक्षित्य जि०प० पोड़ी
03 बूंगा वार्ड, कल्जीखाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पोड़ी गढ़वाल

इप वन संरक्षण
प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग, पोड़ी

अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि०
खण्ड लो०नि०वि० सतपुली
सतपुली (मु०कोटद्वार)

११५
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पोड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत टी03 से बड़खोलू मोटर मार्ग (4.825 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पौड़ीगढ़वाल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी गढ़वाल

उपखण्ड पौड़ीगढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत टी03 से बड़खोलू मोटर मार्ग (0.0 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.885 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.885 हे0 वन भूमि) का प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ीगढ़वाल) की दिनांक 23/01/2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजेश कुमार शर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1- | श्री सतीश कुमार सिंह | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री सन्देश सिंह | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री सन्देश सिंह | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री सन्देश सिंह | वी0डी0सी0 क्षेत्र उपखण्ड सचिव | सदस्य |

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि टी03 से बड़खोलू मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.885 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ----- द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ीगढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत टी03 से बड़खोलू मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.885 हे0 वन भूमि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- पौड़ी गढ़वाल

जनपद- पौड़ी गढ़वाल

कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- पौड़ी गढ़वाल

जनपद- पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम	:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत टी03 से बड़खोलू मोटर मार्ग (4.625 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।
-----------------	---

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - पञ्चिक
तहसील पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ीगढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत टी03 से बड़खोलू मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.885 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 0.885 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़खोलू द्वारा दिनांक 12.12.2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बड़खोलू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.885 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



दिनांक 12/6/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पड़विया

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जोगीश चंड	जोगीश चंड
2	जोगती देवी	जोगती देवी
3	श्री जंगवीर सिंह	Jangvir Singh
4	अर्जुन सिंह बिष्ट	Arjun Singh Bisht
5	गणेश्वर सिंह	Ganeshwar Singh
6	Pustkar Singh	Pustkar Singh
7	श्री जंगवीर चंड	श्री जंगवीर चंड
8	श्रीवमोहन सिंह	श्रीवमोहन सिंह
9		
10	Anvish Bisht	M. Bisht
11	सावित्री देवी	सावित्री देवी
12	Meherwan Singh Bisht	Meherwan Singh Bisht
13	Amarjeet Singh	Amarjeet Singh
14	सुमन कुमारी	सुमन कुमारी
15	राज सिंह	राज सिंह
16	विजयपाल सिंह बिष्ट	विजयपाल सिंह बिष्ट
17	गंगा सिंह बिष्ट	गंगा सिंह बिष्ट
18	प्रताप सिंह बिष्ट	प्रताप सिंह बिष्ट
	शंभू सिंह	शंभू सिंह

ग्राम प्रधान

